...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...संख्या :-48 / 2021 दायर दिनांक: 18.06.2021

...MS NO:- 2021/98

...अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. धर्मेन्द्र प्रजापत आ0 रामचन्द्र प्रजापत जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–वादी–

बनाम

1. कालू आ0 परमा जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
2. बाबूलाल आ0 परमा जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
3. किशनलाल आ0 परमा जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
4. कस्तूरी बैवा मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
5. मंजु पुत्री मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 हाल पत्नि रामलाल जाति कुम्हार निवासी बतवाडा तहसील बून्दी जिला बून्दी राज0
6. रामफूल आ0 मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
7. रामलड्डू आ0 मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
8. सीमा पुत्री मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 हाल पत्नि रामप्रकाश जाति कुम्हार निवासी रायथल तहसील बून्दी जिला बून्दी राज0
9. किशोर आ0 दल्ला जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
10. टमा बाई पुत्री दल्ला जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 हाल पत्नि कल्याण जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
11. नटी बाई पुत्री दल्ला जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 हाल पत्नि कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
12. भूरी बाई पुत्री दल्ला जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 हाल पत्नि रामनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
13. रामकुंवार आ0 दल्ला जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
14. रामचन्द्र आ0 दल्ला जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
15. राममूर्ति पुत्री दल्ला जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 हाल पत्नि बिरधीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
16. भूमिधारी राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
17. बैंक ऑफ बडौदा शाखा खटकड तहसील बून्दी जिला बून्दी राज0
18. बून्दी चितोडगढ़ क्षैत्रिय ग्रा[illegible] तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0
19. भीवा आ0 दल्ला जाति कुम्हार निवासी पीपल्या [illegible] जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:34:07 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–

वादी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर ।

प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री हसन मियां।

निर्णय दिनांक 15.03.2022

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

COURT DECISION 2022

Scanned with CamScanner

...थ में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम पीपल्या पटवार हल्का पीपल्या भू0 ...नि.क्षैत्र जेतपुर तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता ...या 280 पुराना 234 के खसरा संख्या 17 रकबा 0.9546 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। यह कि ...पल्या पटवार हल्का पीपल्या भू0 अभिलेख.नि.क्षैत्र जेतपुर तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 की ...दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 33 व पुराना 39 के खसरा संख्या 16 रकबा 0. ... हेक्टैयर, खसरा संख्या 285/609 रकबा 0.1052 हैक्टैयर कृषि भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र ... चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमियां है। उक्त भूमि का विभाजन वर्षो पूर्व हो चुका है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 14 के हिस्से में वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में से 2/3 हिस्सा तथा वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 16 का सम्पूर्ण रकबा के साथ–साथ अन्य भूमि भी प्रतिवादी संख्या 14 को विभाजन में प्राप्त हुई थी। यह कि आज से करीबन 7–8 वर्ष पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या 14 के रिश्तेदारों ने मिलकर भूमि का विभाजन कर दिया था। जिसके अनुसार वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 17 में 2/3 हिस्सा व वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 16 का सम्पूर्ण रकबा वादी के हिस्से आया था तथा जिसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 14 के हिस्से में अन्य भूमिया भी आई थी उक्त विभाजन समाज के मौतबीर के समक्ष मौखिक ही हुआ था। यह कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई और प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि को छिनने व वादी के हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए दिनांक 30.05.2021 से धमकियाँ देने लग गए। यही वाद का कारण है। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी को प्रतिवादीगण के बीच हुए विभाजन को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा कर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 17 की भूमि में से 2/3 हिस्सा व वाद पत्र चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 16 का सम्पूर्ण हिस्सा वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जाकर वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 17 के 2/3 हिस्से व चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 16 के सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। यह कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के शांति पूर्वक खेती काश्त में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नही करे, भूमि को बैचान रहन या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और न ही ऐसा काम किसी अन्य से करवाये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल नक्शा परिशिष्ट ,नकल जमाबंदी तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 व 19 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी का वाद पत्र विधि सम्मत रूप से स्वीकार फरमा दिया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

वाद पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत केम्प कोर्ट पीपल्या में पेश हुई। जहां सभी पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया गया।

हमने वाद–पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज व राजीनामा पक्षकारान आदि का अवलोकन किया। बहस वाद पत्र सुनी गई। सभी पक्षकारान ने राजीनामा में याचना मुताबिक वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीपल्या पटवार हल्का पीपल्या भू0 अभिलेख.नि.क्षैत्र जेतपुर तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 280 पुराना 234 के खसरा संख्या 17 रकबा 0.9546 हेक्टेयर भूमि में से 2/3 हिस्से पर तथा ग्राम पीपल्या पटवार हल्का पीपल्या भू0 अभिलेख.नि.क्षैत्र जेतपुर तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 33 व पुराना 39 के खसरा संख्या 16 रकबा 0.0971 हेक्टैयर भूमि पर वादी को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दी व नक्शा ट्रैश में [illegible] किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पा[illegible] कि वादी के शांतिपूर्वक खेती काश्त में किसी प्रकार की बाधा उप[illegible] न रहन या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे, ऐसा कार्य न [illegible] किसी अन्य से करवाये। [illegible] कर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:34:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner